<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>सिविल पुनरीक्षण सं. 35/2006</u>

मनोज कुमार मंगवानी

-विरुद्ध-

जमुना दास सुखवानी और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक 05.09.2006 को आदेश के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण सं. 35/2006

मनोज कुमार मंगवानी

-विरुद्ध-

जमुना दास सुखवानी और अन्य

उपस्थिति :

श्री मनोज परांजपे और श्री वैभव गोवर्धन, आवेदक के अधिवक्ता ।

डॉ. शैलेश आहूजा, उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ।

अन्य उत्तरवादीगण हेतु तामीली उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 05-09-2006)

द्वारा सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:

(1) आवेदक ने एमजेसी संख्या 3/2005 के रूप में पंजीकृत, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (जिसे आगे अधिनियम 1961 कहा जाएगा) की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत एक चुनाव याचिका में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बेमेतरा (छग) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.2006 की विधिमान्यता को प्रश्नाधीन किया है।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक और उत्तरवादी संख्या 1 से 7 वे उम्मीदवार थे, जिन्होंने नगर पालिक परिषद, बेमेतरा जिला-दुर्ग (छग) के वार्ड संख्या 3 से पार्षद का चुनाव लड़ा था, जो दिनांक 14.12.2004 को संपन्न हुआ था। मतगणना दिनांक 19.12.2004 को की गई थी। परिणाम दिनांक 26.12.2004 को घोषित किए गए थे और उक्त चुनाव में आवेदक को सर्वाधिक 172 मत प्राप्त होने पर विजयी उम्मीदवार घोषित किया गया था। उत्तरवादी संख्या 1 ने 170 वोट प्राप्त किए थे और उत्तरवादी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को क्रमशः 80, 2, 12, 0, 1 और 61 वोट मिले थे। चुनाव याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई थी कि आवेदक ने 26 जनवरी, 2001 के बाद एक बच्चे को जन्म दिया था, जिससे उसके बच्चों की संख्या बढ़कर दो से अधिक हो गई थी और इस रीती से उसे उक्त अधिनियम, 1961 की धारा 38 (1) (ङङ) के उपबंधों के प्रभाव से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया था कि उसने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में एक झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया था और इस वैधानिक निर्हरता के कारण, उसके निर्वाचन को अविधिमान्य घोषित किया जाना चाहिए। उत्तरवादी संख्या 1 ने यह भी दावा किया था कि चूंकि उसने अगली सबसे अधिक संख्या में वोट हासिल किए हैं, इसलिए उसे आवेदक के स्थान पर निर्वाचित घोषित किया जाना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाहिए। याचिका की कंडिका-7(ग) के माध्यम से विशेष रूप से यह अभिवाक किया गया था कि आवेदक की चतुर्थ संतान चिराग का जन्म दिनांक 31.1.2001 को हुआ था, जो उसे उपरोक्त उपबंधों के अंतर्गत उसे चुनाव लड़ने के लिए अनर्ह ठहराता है।

(3) आवेदक ने उत्तरवादी संख्या 1 की तर्कों को नकारते हुए अपना जवाब दाखिल किया। उनके द्वारा विशेष रूप से यह अभिवाक किया गया था कि उसके बच्चे का जन्म दिनांक 3.1.2001 अर्थात दिनांक 26.1.2001 से पहले हुआ था, इसलिए, उसे उक्त चुनाव के लिए अनर्ह ठहराए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अन्य उत्तरवादी अर्थात उत्तरवादी संख्या 2 से 7 एकपक्षीय रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को स्वीकार कर लिया और आवेदक के निर्वाचन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उक्त अधिनियम 1961 की धारा 28 (1) (ङङ) के अंतर्गत, आवेदक को इस आधार पर नगर पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया था कि उसकी चतुर्थ संतान का जन्म दिनांक 31.1.2001 अर्थात दिनांक 26.1.2001 के बाद हुआ था।

(5) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक की चतुर्थ संतान की जन्म तिथि के संबंध में निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समक्ष विकृत है और अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि उक्त बच्चे का जन्म दिनांक 31.1.2001 को हुआ था, जबकि उस बच्चे का जन्म दिनांक 03.1.2001 को हुआ था।

(6) इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस संबंध में निष्कर्ष न तो विकृत हैं और न ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत हैं और इसके तथ्य आधारित निष्कर्ष होने के कारण, अधिनियम की धारा 26 (2) के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत प्रदान किए गए क्षेत्राधिकार के लगभग समान है। धारा 26 (2) के उपबंधों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक निर्वाचन याचिका पर निर्णय के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण में आवेदक के लिए उपलब्ध आधार पूर्वोक्त धारा के अंतर्गत विशेष रूप से परिभाषित आधारों तक सीमित हैं और तथ्य के प्रश्न पर पुनरीक्षण बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और निर्वाचन याचिका के अभिलेख का अवलोकन किया है।

(8) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की परिधि की संबंध में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **मस्जिद कच्चा टैंक, नाहन विरुद्ध तुफैल मोहम्मद, AIR 1991 SC 455** के प्रकरण में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत उच्च न्यायालय साक्ष्य की पुनः विवेचना नहीं कर सकता है और साक्ष्य का एक अलग दृष्टिकोण अपनाकर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय को तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल तभी है जब निष्कर्ष विकृत हों या अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य की विवेचन न की गई हो या उस पर विचार न किया गया हो। केवल इसलिए कि साक्ष्य पर एक अन्य दृष्टिकोण लिया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने **कल्पतरु विद्या संस्थान (आर) और एक अन्य विरुद्ध एस. बी. गुप्ता और एक अन्य, (2005) 7 SCC 524** के प्रकरण में दिए गए निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का भी उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात को निरस्त किया था कि उच्च न्यायालय धारा 115 के अंतर्गत अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और साक्ष्य की पुनर्विवेचन नहीं कर सकता है और निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत थे या इस पर विचार नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के पास निहित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, विशेष रूप से 1961 के उक्त अधिनियम की धारा 26 (2) के अंतर्गत इस उप-धारा में निर्दिष्ट दो आधारों तक सीमित है। ये दो आधार यह हैं कि निर्णय विधि विरुद्ध है और न्यायाधीश ने विधि द्वारा उसमे अनिहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है या उसमें निहित विधि प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है।

(10) "विधि विरुद्ध" वाक्यांश का अर्थ है कि विधिक उपबंधों का उल्लंघन करना या विधि अनुरूप नहीं होना। व्य०प्र०सं० की धारा 100 के अधीन दूसरी अपील के संदर्भ में, ये परिस्थितियाँ कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष मुख्य रूप से उन साक्ष्यों पर आधारित है जिन्हें स्पष्ट रूप से

उल्लिखित किया गया है और निर्णय में स्पष्ट रूप से पुनः दर्शाया गया है, परंतु अभिलेख में कहीं भी नहीं पाया गया है कि यह निर्णय को दूषित करता है और इसे व्य०प्र०सं० की धारा 100 के अंतर्गत "विधि विरुद्ध" बनाता हैं। **(कृपया श्री पी. रामनाथ अलियार का उन्नत विधि शब्दकोश(Advanced Law Lexicon), तीसरा संस्करण 2005, पृष्ठ 1034 देखें।)**।

(11) इसलिए, यह स्पष्ट है कि यद्यपि उच्च न्यायालय साक्ष्य की पुनर्विवेचना नहीं कर सकता है और साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष को अपास्त नहीं कर सकता है, परंतु यह हमेशा निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त है जब वे विकृत हों या जब ऐसा प्रतीत हो कि उस पर विचार नहीं किया गया है, जो अंततः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को "विधि विरुद्ध" बना देगा और 1961 के उक्त अधिनियम की धारा 26 (2) (क) के अंतर्गत पुनरीक्षण योग्य होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) अब यह देखना होगा कि क्या आवेदक की चतुर्थ संतान की जन्म तिथि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथाभिलिखित निष्कर्ष विकृत है या उस पर विचार नहीं किया गया था? जन्म तिथि के तथ्य को प्रमाणित करने के

लिए, अनावेदक संख्या 1 ने स्वयं को अभि०सा०- 2 के रूप में परीक्षित किया था और उसने दो अन्य साक्षियों डॉ. नरेश तिवारी (अभि०सा०-1) और पं. रमेश चंद शर्मा (अभि०सा०-3) का भी परीक्षण किया था। अनावेदक ने आवेदक की चतुर्थ संतान की जन्म तिथि 31.1.2001 होने के के संबंध में अभिवाक किया था। उसने बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने की पंजी का सार भी प्रस्तुत किया, जिसमें आयु के कॉलम में, बच्चे अर्थात पराग पिता मनोज मंगवानी की जन्म तिथि का उल्लेख दिनांक 31.1.2001 (प्रदर्श डी-1(सी) के रूप में किया गया है। उक्त अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे। अभि०सा०- 1 वह चिकित्सक है जिसने पंजी के सार की प्रति प्रदान की थी। अभि०सा०-3 वह पंडित है जो कहता है कि उसने मनोज मंगवानी के पुत्र की जन्म कुंडली तैयार की है। उन्होंने आगे कथन किया है कि जब कोई व्यक्ति जन्म कुंडली की तैयारी के लिए उसके घर जाता है, तो वह बच्चे या जिस व्यक्ति की कुंडली तैयार की जानी है, के जन्म की तिथि और समय को पंचांग में दर्ज कर लेता है और दी गई तिथि और समय के आधार पर, वह कुंडली तैयार करता है। उन्होंने पंचांग के संबंधित पृष्ठ संख्या की प्रति भी प्रस्तुत की है, जिसमें उसने प्रविष्टि की थी और माघ सुधी के बुधवार, रात 9.25 जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दर्ज की गई तिथि 31.1.2001 है। यह उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत साक्ष्य था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कंडिका 7 से 10 के अंतर्गत विचार किया था।

(13) आवेदक ने स्वयं की बचाव साक्षी-2 के रूप में परीक्षा की थी। उसने कथन किया था कि दिनांक 03.1.2001 को उसके बच्चे का जन्म हुआ था। उन्होंने बड़ी(कुण्डली)(उसके कुटुंब में व्यक्तियों के जन्म के बारे में विवरण, जो तिथि आदि सहित हिंदू अनुष्ठानों के अनुसार दर्ज की गई थी, जिसमें जन्में बच्चे का जन्मांक दर्शाया गया था) के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रति दाखिल की थी । इसकी प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रदर्श डी-1 (सी) के रूप में प्रमाणित की गई है। इसके साथ-साथ उसने जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा दिनांक 16.2.2005 को जारी जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था। इस दस्तावेज़ की एक प्रति प्रदर्श डी-2 (सी) के रूप में दाखिल की गई है। इसके अतिरिक्त, एक नर्स कुमारी रेखा कविलाश की भी बचाव साक्षी-1 के रूप में परीक्षा की गई थी, जिसने कथन किया था कि उसने आवेदक के बच्चे का प्रसव कराया था, जो दिनांक 3 जनवरी 2001 को हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने बड़ी(कुण्डली) और आवेदक के साक्षियों के मौखिक साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त बड़ी(कुण्डली) में हेरफेर किया गया था। निर्णय की कंडिका-11 में लेख है कि बड़ी(कुण्डली)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में ब से ब स्थान पर, श्वेतक (अपवर्तक द्रव) का उपयोग किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो मूल रूप से लिखा गया था उसे मिटा दिया गया है। उक्त बड़ी(कुण्डली) और आवेदक के साथ-साथ उसके अन्य साक्षियों जैसे नर्स आदि के सहायक मौखिक साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया है क्योंकि आवेदक के अनुसार, बच्चे की जन्म तिथि 03.1.2001 थी और बड़ी(कुण्डली) प्रदर्श डी-1 से दर्शित होता है कि उक्त तिथि पर हिंदी माह और दिन माघ, शुक्ल पक्ष, दिन बुधवार के रूप में पड़ रहे हैं। परंतु हिंदी कैलेंडर और पंचांग के अनुसार, दिनांक 3.1.2001 को, संबंधित हिंदी महीना और दिन पौष सुधि '8' दिन बुधवार के रूप में पड़ता है। लेखन में कांटछांट भी है जिसमें अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तिथि का उल्लेख किया गया है। यदि बड़ी(कुण्डली) की सम्पूर्ण सामग्री को हिन्दी माह और सुधि आदि के संदर्भ में पढ़ा जाए, सिवाय अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अंकित दिनांक 03.1.2001 को, जिसे दिनांक 31.1.2001 के रूप में प्रतिस्थापित करने पर, यह बड़ी(कुण्डली) तिथि और समय के अनुसार सही होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि बड़ी(कुण्डली) में दिनांक 03.1.2001 के रूप में उल्लिखित तिथि सही नहीं है और जो बड़ी(कुण्डली) प्रस्तुत की गई है वह वास्तव में दिनांक 31.1.2001 को जन्म लिए बच्चे की बड़ी(कुण्डली) है। इस संदर्भ में, पंजीयक, जन्म और मृत्यु द्वारा जारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रमाण पत्र पर भी विश्वास नहीं किया गया और अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक के चतुर्थ संतान का जन्म दिनांक 31.1.2001 को हुआ था और आवेदक को उक्त अधिनियम 1961 की धारा 38 (1) (ङङ) के उपबंधों के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया था।

(14) जन्म प्रमाण पत्र के विषय में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि एक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में जन्म और मृत्यु रजिस्टर में दर्ज किये गए जन्म तिथि की प्रविष्टि पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उन्होंने **संतेनु मित्र विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, AIR 1999 SC 1587** के प्रकरण में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया । इस प्रकरण में, किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक प्रकरण पर विचार करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि एक बार जब अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में प्रविष्टि दर्ज की ली गई थी, तो केवल इस तर्क के आधार पर यह संदेह नहीं किया जा सकता है कि यह अपीलार्थी द्वारा बताये गए जन्मतिथि से मेल नहीं खाता था। इस प्रकरण में, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक जांच की गई थी और उक्त जांच में, दिनांक 19.11.1972 को उक्त किशोर के जन्म के विषय में दिनांक 14.8.1978 और 8.11.1978 के बीच की गई जन्म और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियों पर विश्वास नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण के आक्षेपित आदेश के बारे में कहते हुए अवधारित किया कि प्रविष्टि पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह नहीं भुलाया जा सकता है कि यह घटना प्रविष्टि किये जाने की तारीख के लगभग 10 साल बाद हुई थी और यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि जिस तारीख को प्रविष्टि की गई थी, उस तारीख को अपीलार्थी ऐसा किये जाने के आधार पर उसके लाभ का दावा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अवधारित किया था कि यह प्रविष्टि अकेली नहीं थी, अपितु इसमें एलआईसी पॉलिसी और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र भी सम्मिलित था, जिसमें अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.11.1972 बताई गई थी। वर्तमान प्रकरण में, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जन्म तिथि के बारे में प्रविष्टि की गई थी। प्रमाण पत्र की अंतर्वस्तु से दर्शित होता है कि दिनांक 03.1.2001 के रूप में जन्म तिथि की यह प्रविष्टि दिनांक 16.5.2005 को की गई थी, जिसका अर्थ है कि उक्त तिथि के लगभग 4 साल और 5 महीने बाद, वह भी संबंधित मजिस्ट्रेट की सहायता से, क्योंकि आक्षेपित जन्म तिथि को उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया जा सका था। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह निर्वाचन याचिका दिनांक 25.1.2005 को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत की गई थी और आवेदक ने दिनांक 03.3.2005 को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और जब उसे निर्वाचन याचिका में उठाए गए आधारों के बारे में जानकारी मिली, तब यह प्रविष्टि की गई थी जो याचिका दायर करने के बहुत बाद की गई थी। वर्तमान स्थिति में, उक्त प्रकरण के प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय का लाभ, जिसमें प्रविष्टि तथापि विलंबित चरण में की गई थी, परंतु घटना की तारीख से बहुत पहले की गई थी, आवेदक को नहीं दिया जा सकता है और वर्तमान प्रकरण इस बिंदु पर सुभिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने **सिद्धेश्वर गांगुली विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, AIR 1958 S.C. 143** के प्रकरण के निर्णय का अवलंब लिया। उक्त प्रकरण में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्धि के संबंध में एक दाण्डिक प्रकरण पर विचार करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि लड़की की आयु का एकमात्र निर्णायक साक्ष्य जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र आयु का निर्णायक प्रमाण हो सकता है, परंतु इस प्रकरण में उत्थापित विवाद यह है कि क्या प्रकरण का बचाव करने के लिए विशेष उपबंधों के अंतर्गत दण्डाधिकारी के कहने पर विलंबित रूप से जन्म तिथि के संबंध में

आक्षेपित प्रविष्टि करके जानबूझकर बनाया गया हो, ऐसा प्रतीत होने वाले प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जाना चाहिए था या नहीं? यदि इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रमाण पत्र, जो फर्जी प्रतीत होता है और जो आवेदक द्वारा स्वयं दाखिल की गई बड़ी(कुण्डली) और जन्मांक के भी विरोधाभासी है, पर न्यायालय ने उन दो दस्तावेजों के आधार पर उस पर भरोसा नहीं किया है, तो न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र पर अविश्वास करने का दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है और उक्त प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गए अवधारण का लाभ, जो ऐसे मामलों के लिए किया गया था जहां प्रविष्टि सामान्य क्रम में की जाती है, आवेदक को नहीं दिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जन्म पंजी में प्रविष्टि जन्म तिथि का निर्णायक साक्ष्य नहीं है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अंतर्गत दण्डाधिकारी के निर्देश के अनुसार की गई प्रविष्टि भी ऐसी ही है। धारा 13 में सन्निहित विधि की नीति जन्म और मृत्यु की तारीख से संबंधित प्रविष्टियों में छलसाधन से बचने के लिए है। यह धारा पंजीयक के लिए केवल एक वर्जन है। यह एक ऐसा उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत एक पीड़ित पक्ष अपने विवादित जन्म तिथि पर निर्णय प्राप्त कर सके। दण्डाधिकारी का आदेश केवल पंजीयक को बाध्य करता है न कि

अन्य को। (कृपया **<u>एच. सुब्बा राव विरुद्ध द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य, AIR 1976 Karnataka , 231</u>**) देखें।)

(17) वर्तमान प्रकरण में जब जन्म तिथि के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ, आवेदक ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अंतर्गत दण्डाधिकारी के समक्ष निवेदन किया और दण्डाधिकारी के निर्देशों के अनुसार, प्रविष्टि की गई जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य विवाद के लंबित रहने के दौरान एक साक्ष्य बनाने का था और अधीनस्थ न्यायालय ने प्रविष्टि पर अविश्वाश किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत लोक दस्तावेजों में प्रविष्टियों की स्वीकार्यता के संबंध में **<u>हरपाल सिंह और एक अन्य विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, AIR 1981 SC 361</u>** और **<u>उमेश चंद्र विरुद्ध राजस्थान राज्य, AIR 1982 SC 1057</u>** के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी अवलंब लिया। उपरोक्त निर्णयों में अधिकथित विधिक प्रतिपादनों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। वर्तमान प्रकरण में विवाद प्रमाण पत्र में प्रविष्टि की शुद्धता और उक्त आशय से उसकी वास्तविकता से संबंधित है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उपर्युक्त अनुसार विचार किया है और उक्त प्रविष्टि पर विश्वास नहीं किया है।

(19) अंत में, उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि जब आवेदक को अनर्ह घोषित किया गया था और इस उत्तरवादी ने दूसरी सबसे अधिक संख्या में वोट प्राप्त किए थे, तो उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए था और इस तरह की घोषणा इस याचिका में की जानी चाहिए थी। प्रकरण के अभिलेख से दर्शित होता है कि इस तरह के अनुतोष के लिए, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा एम. (सी.) पी. संख्या 742/2006 भी दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) इस न्यायालय के अभिमत में, **विश्वनाथ रेड्डी विरुद्ध कोनप्पा रुद्रप्पा नडगौडा, AIR 1969 SC 604** और **गडख यशवंतराव कांकराव विरुद्ध ई.वी. उर्फ बालासाहेब विखे पाटिल और अन्य, (1994) 1 SCC 682** के प्रकरणों में दिए गए शीर्ष न्यायालय के दो निर्णयों को देखते हुए इस प्रकरण में ऐसी घोषणा नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने **विश्वनाथ बनाम कोनप्पा (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में निम्नलिखित अवधारित किया था : -

> "हम फिर से इस उपधारणा में कोई तर्क नहीं देख पा रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति, जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध रूप से नामित हुआ माना गया है, परंतु जो वास्तव में अनर्ह है, के पक्ष में डाले गए गए मत को, यह अवधारित करने के उद्देश्य से कि क्या एक नया चुनाव होना चाहिए, अभी भी वैध मत

> के रूप में माना जा सकता है। जब केवल दो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हो, और उनमें से एक वैधानिक रूप से अर्ह नहीं है, तो अनर्ह उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों को रद्द माना जा सकता है, भले ही उन्हें वोट देने वाले मतदाता निर्हरता के बारे में जानते हों या नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जहां एक सीट के लिए दो से अधिक उम्मीदवार मैदान में हों और उनमें से एक को अनर्ह घोषित कर दिया जाए तो अनर्हता सिद्ध होने पर उसके पक्ष में डाले गए सभी मत रद्द कर दिए जाएंगे और अगले सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, मतदाताओं को सूचित करने का प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यदि मतदाताओं को अनर्हता के बारे में पता होता तो वे अनर्ह उम्मीदवार के लिए मतदान नहीं करते।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) **गदाख यशवंतराव कंकरराव**(पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों को पुनः उद्धृत किया गया, तथा इस पर जोर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अधिकथित किया था कि जहां केवल दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से एक अनर्ह है, ऐसी स्थिति में अनर्ह उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों को रद्द किया जा सकता है, भले ही उसे मत देने वाले मतदाता उसके निर्हरता के विषय में जानते हों। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया था कि जहां एक सीट के लिए दो से अधिक उम्मीदवार चुनाव में खड़े हों और अकेले एक को अनर्ह ठहराया जाता है, तो मतदाताओं को सूचित किये जाने का प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर मतदाताओं को निर्हरता के बारे में पता है तो वे अनर्ह

उम्मीदवार को वोट नहीं दिया होता। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अवधारित किया था कि जहां दो से अधिक उम्मीदवार हैं और उनमें से एक को अनर्ह घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे प्रकरण में चुनाव को रद्द किया जा सकता है, परंतु अगले सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पक्ष में घोषणा नहीं की जा सकती है।

(22) इस मामले में, निःसंदेह, दो से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और शेष उम्मीदवारों ने भी इस आदेश की कंडिका - 2 में निर्दिष्ट उचित संख्या में वोट प्राप्त किए हैं , और उक्त स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से उत्तरवादी संख्या 1 को विजयी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उत्तरवादी संख्या 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उत्थापित मुद्दों में कोई बल नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) पूर्वगामी कारणों से, इस पुनरीक्षण को और साथ ही एम. (सी.) पी. संख्या 742/2006 दोनों को निरस्त किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

राव/वी

====0000====

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ratna Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur